कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम–VIII – क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या– 8(4)

आप के आवेदन संख्या– 322/17-18 तिथि– 6-XI-19 के संदर्भ में श्रीमति/श्री Jayat Chandra Sen ..... के लिए

(क) G+5 भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुनर्निर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

Purnea नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ..... प्लौट नं० (सी०एस०) ..... प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) ..... खाता नं० 245 148 417 होल्डिंग नं० 360 ..... गाँव ..... मोहल्ला Belouni वार्ड नं० 44 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :–

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से ..... प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1013 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थाान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 40 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ ..... नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी कए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

26/11/19

मानचित्र आदेशानुसार
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार
नगर निगम, पूर्णियाँ

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम–VIII – क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या– 8(4)

आप के आवेदन संख्या– 380/17-18 तिथि– 1-8-17 के संदर्भ में श्रीमति/श्री Jagat Chandra Sarkar के लिए

(क) G+1 भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुनर्निर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

Purnea नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ..... प्लौट नं० (सी०एस०) ..... प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) ..... खाता नं० 417 245 198 होल्डिंग नं० 360 ..... गाँव ..... मोहल्ला Baharbari वार्ड नं० 44 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :–

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से ..... प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 558 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 7.6 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ ..... नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 8 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी कए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

आदेशानुसार

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार

नगर निगम, पूर्णियाँ

C.N.O. 332/2017-18

PRO. TERRACE FLOOR PLAN

PRO. GROUND FLOOR PLAN

PRO. TYPICAL FIRST, SECOND, THIRD AND FOURTH FLOOR PLAN

LEFT SIDE ELEVATION

DETS. OF FOOTING

SECTION Y-Y

BOUNDRY WALL DETAIL

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL.NO.	TYPE	DESCRIPTION	WIDTH	HEIGHT	SILL	REQ.
01.	D1	SINGLE LEAF F. DOOR	1.05	2.10		
02.	D2	SINGLE LEAF F. DOOR	0.90	2.10		
03.	D3	SINGLE LEAF F. DOOR	0.75	2.10		
04.	D	DOUBLE LEAF F. DOOR	1.80	2.10		
05.	W	GLAZED SIDE HUNG	1.80	1.80	0.75	
06.	W0	GLAZED SIDE HUNG	1.50	1.35	0.75	
07.	W1	GLAZED SIDE HUNG	1.35	1.35	0.75	
08.	W2	GLAZED SIDE HUNG	0.90	1.35	0.75	
09.	W3	GLAZED SIDE HUNG	0.90	1.20	0.90	
10.	W4	GLAZED SIDE HUNG	0.60	0.60	1.50	
11.	V	GLAZED SIDE HUNG	0.30	0.30	2.55	
12.	SW	GLAZED PART FIXED P. OPEN	0.60	7.00		

SPECIFICATION

1. FOUNDATION :- R.C.C. SPRED PILLER FOUNDATION.
2. SUPERSTRUCTURE :- 1st CLASS BRICK WORK IN (1:6) CMENT PLEASTER.
3. FLOORING :- .025 TH. MOSAIC FLOORING OVER
   0.10 TH. DRY RAMMED KHOA OVER
   0.075 TH. BRICK FLAT SOLING OVER SAND FILLING.
4. LINTEL :- R.C.C. LINTEL AS PER DESIGN.
5. ROOF :- 0.13 TH. R.C.C. ROOF SLAB.
6. PLASTER :- 0.0125 TH. CEMENT PLASTER
7. FINISHING :- TWO COATS OF CEM. WASH.

AREA CALCULATION :

PLOT AREA AS PER DEED = (i) 3 ACRE 74 DISMIL 9 KARI
(ii) 1 ACRE 88 DISMIL 0 KARI
(iii) 1 ACRE 55 DISMIL 7 KARI

PLOT AREA AS PER SITE = 4.312 ACRE
GROUND FLOOR BUILT UP AREA (TOWER) = 17.51 SMT
1ST, 2ND, 3RD AND 4TH FL. TOTAL B-U-A (TOWER) = 4X458.17 SMT
F.A.R. = 0.24 TOTAL B-U-A (EXISTING AND PROPOSED) = 4232.55
NET PLOT AREA = 17458.98
BUILT UP AREA FOR PASSING = 2010.43 SQM
COVERD AND OPEN PARKING AREA PROVIDED = 1083 SQM
AREA LEFT FOR GREEN SPACE (> 5 %) = 249.40 SQM

BOUNDARY

NORTH :- KRISHNACHAND, DEVNATH AND SADAN YADAV. EAST :- RAILWAY LINE. WEST :- NH-131A. SOUTH :- SANDHYA RANI AND 1650

SITE PLAN, FLOOR PLANS, SECTION (A-A), ELEVATION, SEPTIC TANK DETAIL & FOUNDATION

SEPTIC TANK CALCULATION

TOTAL NOS. OF OCCUPANTS = 223
TAKES 50% EXTRA PERSON. TOTAL NOS. OF POPULATION = (335)
REQUIRED WATER SUPPLY = 223 PERSON @ 135 LT./PERSON / DAY.
335 PERSONS X 135 LITER = 45225 LITERS. REQUIRED CAPACITY OF WATER TANK = 45.225 CUM.
PROVISION FOR WATER TANK (ASSUMING 2 TIME REFELLING PER DAY).
TANK PROVIDED - 10X10000 Lt = 100.00 CUM

WATER SUPPLY CALCULATION :

TOTAL NOS. OF OCCUPANTS = 223
TAKES 50% EXTRA PERSON. TOTAL NOS. OF POPULATION = (335)
REQUIRED WATER SUPPLY = 223 PERSON @ 135 LT./PERSON / DAY.
335 PERSONS X 135 LITER = 45225 LITERS. REQUIRED CAPACITY OF WATER TANK = 45.225 CUM.
PROVISION FOR WATER TANK (ASSUMING 2 TIME REFELLING PER DAY).
TANK PROVIDED - 10X10000 Lt = 100.00 CUM
PROVIDED OF SEPTIC TANK 5.48 X 2.40 X 2.70 = 31.60 CUM
THUS, 2 NO. SEPTIC TANK REQUIRED

PROPOSED (LIG) GROUP HOUSING BUILDING FOR MR. JAGAT CHANDRA SARKAR , KHATA NO. CS - 245, 148, 467, CS KHESRA NO. - 1082, 1545, 1546, 1550, 1531, 1540,1541, 1542, 1549 SITUATED AT MAUJA BELAURI, THANA - SADAR,RAKWA- 4.312 ACRE, HOLDING NO. - 360

SHEET NO : -- 01 | SCALE - 1: 10, 1:100, 1:200 & 1:500

SIGNATURE OF OWNER

प्रमाणित किया जाता है कि यह भवन उपविधि 2014 के अनुरूप है।

REGISTERED ARCHITECT
SIGNATURE OF ARCHITECT
SANDEEP KUMAR
AR-02/2015
NAGAR NIGAM, PURNIA

Er. K. K. Das
B. Sc. Engg. (Civil)
The Institution of Engineers (India)
Govt. Regd., Nagar Nigam, Purnia
Reg. No.-14/2015

कनीय अभियंता
नगर निगम, पूर्णियाँ

Municipal Commissioner
Municipal Corporation
Purnea

LOCATION PLAN

NOT TO THE SCALE

NORTH

FIRE LEGEND :-

01.HYDRANT OUT LET VALVE WET
02.HOSE REEL
03.SEMAC CONNECTED FOR FIRE BRIGADECONNECTED TO WET RISER
04.ELECTRICALLY INSULATED METAL STRIP
05.UNDER GROUND TANK OF 50,000 LTRS— 50,000 LTRS
06.O.H.W.TANK FOR FIRE FIGHTING ——— 20,000 LTRS
07.INDICATOR PANEL
08.FIRE ALARM CALL POINT
09.AUDIABLE ALARM CALL POINT
10.LOUDSPEAKER OUTLET
11.CO2 FIRE EXTINGUISHER — CO2/DCP
12.FIRE RESISTANT DOOR — F.D.
13.AUTOMATIC SMOKE DETECTOR
14.AUTOMATIC SPRINKLER INSTALLATION

SECTION AT XX

CAMPUS / SITE PLAN

PLAN OF SEPTIC TANK AND SOAK PIT

DETAIL OF DESILTING CHAMBER

DETAILS OF FILTER BED

RAIN WATER HARWESTING DETAIL

The Owner/Builder Shall in on case deviate form the sanctioned plan for the construction, if any deviation is found during the construction or at any time, the entire structure will be treated as unauthorized and owner/builder will be liable for legal action. The owner will keep a copy of sanctioned plan at the site during construction.

*NOTE:
* DIMENTION READ NOT MESURED
* DIMENTION ARE IN MM AND FEET BOTH.